



झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्

स्थान : रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची, टेली-फैक्स: 0651-2972681

E-mail: jspranchi@gmail.com



सं.सं.पारा.मेडि. 04/2011.....¹⁵⁵ राँची, दिनांक 21/07/2020

कार्यालय आदेश

दिनांक 16/06/2020 को सम्पन्न शासी परिषद् की बैठक में लिये निम्न निर्णय को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

1. गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के मान्यता "फी" आदि में निम्न प्रकार वृद्धि की गयी।

	पूर्व दर	वृद्धि के साथ वर्तमान दर
(i) मान्यता "फी" – एवं प्रति पाठ्यक्रम	रु.1,00,000/- रु.20,000/-	रु.1,50,000/- एवं प्रति पाठ्यक्रम रु.30,000/-
(ii) सीट वृद्धि या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की मान्यता "फी"	रु.50,000/-	रु.1,00,000/-
(iii) स्थान परिवर्तन "फी"	रु.50,000/-	रु.1,00,000/-
(iv) सामान्य निरीक्षण "फी"	रु.10,000/-	रु.20,000/-

2. पारामेडिकल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बरकरार रखने के उद्देश्य से वैसे ही गैर सरकारी संस्थानों को नये पारामेडिकल संस्थान खोलने की अनुमति दी जायेगी, जिनका स्वयं का मानक के अनुरूप अपना अस्पताल एवं भवन होगा। भवन स्वयं का है और अस्पताल अपना नहीं है, वैसे ही स्थिति में सरकारी अस्पताल या अर्द्धसरकारी अस्पताल से सम्बद्धता प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन संस्थान से अस्पताल की दूरी अधिकतम 10 K.M के अन्दर ही होगी।

3. विगत दो परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की बिक्री का प्रावधान, जिसका दर रु.100/- प्रति Paper होगा।

4. पारामेडिकल पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों की गुणवत्ता बरकरार रखने हेतु झारखण्ड राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय जो अपने डिप्लोमा प्रशिक्षणार्थियों का निबंधन काउन्सिल में कराना चाहते हैं, उन्हें निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(i) झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउन्सिल द्वारा लागू Syllabus को अपनाना होगा।

(ii) झारखण्ड राज्य पारामेडिकल में ससमय "पाठ्यक्रम निबंधन" कराना होगा।

(iii) झारखण्ड राज्य पारामेडिकल द्वारा ही "परीक्षा" ली जायेगी।

(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक 155 राँची, दिनांक 21/07/2020

प्रतिलिपि:—सरकार के सचिव, स्वास्थ्य चि.शि.एव प.क.विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—संयोजक राजकीय पारामेडिकल संस्थान रिम्स, राँची, पी.एम.सी.एच. धनबाद, एम.जी. एम.एम.सी.एच., जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सभी गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सदस्य सचिव)

डॉ. जे.पी.सांगा
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड
सह अध्यक्ष

प्रो. डॉ. विवेक कश्यप
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
पी. एस. एम. विभाग
रिम्स, राँची सह
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी
निदेशक

प्रो. डॉ. डी. के. सिन्हा
प्राध्यापक, सर्जरी विभाग
रिम्स, राँची सह
परीक्षा नियंत्रक

प्रो. डॉ. बी. सी. अधिकारी,
प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग
रिम्स, राँची सह
शैक्षणिक समन्वयक

डॉ. आई. डी. चौधरी
निबंधक